न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा ,पीठासीन अधिकारी
श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

मुकदमा नंबर 139 / 2017

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
तहसीलदार,पचपदरा		1.ग्राम पंचायत गोपडी, क्षेत्रीय वन अधिकारी बालोतरा, हीराम पुत्र खुमा, कलाराम पुत्र हवीया, नरपतसिंह पुत्र विजयराज, कोलाराम, खंगाराराम, तेजाराम, दुदाराम हुकमाराम, अर्जुनराम पुत्र हुआराम वगैरहा0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,86 भू–अभिलेख नियम 1970

आदेश दिनांकः– 31.10.2017

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,86 भू अभिलेख नियम 1970 इस आश्य का प्रस्तुत किया । हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्वत 2073 दोराने गश्त गिरदावरी ग्राम **नेवाई** मे चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे मे अंकन नही है। उनका अंकन किया जावे।

राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6 / 2003 / पार्ट / 04 जयपुर दिनांक 10.8. 2016 के द्वारा राजकीय भूमि / खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते / ग्रेवल सडक / डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते / सडक के रूप मे अभिलिखित नही है.मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग / उपभोग मे ले रहे है को राजस्व रेकर्ड में दर्ज / तरमीम के आदेश दे रखे है।

अतः मौजा **नेवाई** के ख0न0 कमशः 502 / 131, 66, 67, 463 / 60, 62, 13, 63, 536 / 153, 544 / 153, 8, 422 / 8, 6, 451 / 15 रकबा कमश 1.09, 0.10, 0.07, 0.04, 0.06, 10.08, 0.09, 1.00, 1.00, 0.12, 1.03, 0.15, 0.19, बीघा मे संलग्न परिशिष्ट 'अ' मे चल रहे रास्ते / सडक का रास्ता को संबंधित खातेदारो की खातेदारी मे रखते हुए परिशिष्ट 'ब' मे वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

...क्त प्रकरण राजस्व विविध दर्ज कर संबंधित खातेदार/खातेदारो को नोटिस जारी कर ... किया, विप्रार्थीगणों द्वारा अपना जबाब पेश नही किया गया।

हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालात मे होने की ताईद की है तथा बताया की संलग्न नक्शें के बिन्दु 'ए' से 'बी' पर मौके पर रास्ता चल रहा है। विप्रार्थीगणे क्षेत्रीय वन अधिकारी बालोतरा के अतिरिक्त अन्य द्वारा कोई आपति पेश नही कि गयी। विप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपति विवेचन किया है। पटवारी हल्का मौजा **नेवाई** ने संलग्न परिशिष्ट 'ब' में अंकित नक्शे मे 'ए' से 'बी' तक ख0 न0 कमश 502/131, 66, 67, 463/60, 62, 13, 63, 536/153, 544/153, 8, 422/8, 6, 451/15 रकबा कमश 1.09, 0.10, 0.07, 0.04, 0.06, 10.08, 0.09, 1.00, 1.00, 0.12, 1.03, 0.15, 0.19, बीघा रास्ता वर्तमान मे चालू बताया है तथा इसे राजस्व रेकार्ड में सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं नक्शे मे तरमीम करने की प्रार्थना की है। विवेचन करने पर पाया गया कि खसरा न0 13, 536/153, 544/153, रकबा कमश : 10.08, 1.00, 1.00, वन विभाग की भूमि है तथा वन विभाग की भूमि ममें किसी प्रकार का परिवर्तन करने की शक्तियां पीठासिन अधिकारी को नहीं है। अतः भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आशींक रूप से स्वीकार करने का आधार पत्रावली पर है। और वन विभाग की भूमि छोड शेष भूमि में रास्ता दर्ज किया जाना सही है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन अध्ययन किया।

बाद गौर तहसीलदार पचपदरा की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/ तरमीम नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है। साथ ही जमाबन्दी में भी किस्म गै मु. रास्ता दर्ज किया जावें।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा **नेवाई** में अवस्थित ख0न0 502/131, 66, 67, 463/60, 62, 63, 8, 422/8, 6, 451/15 रकबा कमश 1.09, 0.10, 0.07, 0.04, 0.06, 0.09, 0.12, 1.03, 0.15, 0.19, बीघा के बिन्दु 'ए' से 'बी' व 'सी' से 'डी' होते हुए नक्शे में वर्णित मार्क अनुसार रास्ता घोषित किया जाकर तरमीम का आदेश दिया जाता है,वन विभाग की भूमि खसरा न0 13, 536/153, 544/153 रकबा कमशः 10.08, 1.00, 1.00 वन विभाग की भूमि में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत वाद को निरस्त किया जाता है। उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत खातेदार के खाते मे ही दर्ज रहेगा। संलग्न नक्शा बिन्दु 'ए' से 'बी' व 'सी' से 'डी' तक का रास्ता निर्णय का भाग रहेगा ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

आदेश आज दिनांक 31.10.2017 को सुनाया गया ।

(भागीरथ राम)
भू-अभिलेख अधिकारी,
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा